भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. +358

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 05 फरवरी, 2024, माघ 16, 1945 (शक) को दिया जाना है

जीएसटी के कार्यान्वयन द्वारा नागरिकों की आय और जीवन स्तर में असमानता का उन्मूलन

+358. श्री विवेक नारायण शेजवलकर:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माल और सेवा कर (जीएसटी) प्रमाली के कार्यान्वयन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों की आय और जीवन स्तर में असमानता को समाप्त करना था;
(ख) यदि हां, तो क्या उक्त उद्देश्य पूरा हो गया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;
(घ) क्या राज्यों में कर संग्रहण में पहले की तुलना में आशा के अनुरुप सुधार हुआ है; और
(ङ) यदि हां, तो इसकी पुष्टि के लिए सरकारी आंकड़ों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): जी नहीं। माल और सेवा कर (जीएसटी) का उद्देश्य देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सुसंगत और सरल बनाना, करों के व्यापक प्रभाव को दूर करना और वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय बाजार प्रदान करना है।

(ख) और (ग): उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ): राजस्व विभाग द्वारा मई 2023 में एक आंतरिक अध्ययन किया गया था, जिसका विवरण 24 मई 2023 को एक प्रमुख व्यावसायिक दैनिक में "जीएसटी एक गेम-चेंजर रहा है" शीर्षक से एक लेख में प्रकाशित हुआ था"। अध्ययन का सार इस प्रकार है:

(i) वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के लिए सकल समग्र माल और सेवा कर राजस्व (राज्य और केंद्र) की औसत वृद्धि दर 12.3 प्रतिशत है, जबकि औसत सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर 9.8 प्रतिशत है, जो 1.25 के कर उछाल का संकेत देती है। इसकी तुलना में, वर्ष 2012-17 की पांच वर्ष की अवधि (जीएसटी से पहले की अवधि) के लिए, जीएसटी (राज्य और केंद्र) में शामिल किए गए करों का उछाल केवल 0.9988 था।

(ii) वर्ष 2018-23 के दौरान, राज्यों के एसजीएसटी राजस्व (राज्यों को जारी क्षतिपूर्ति सहित) में 1.22 का उछाल देखा गया था। इस अवधि में राज्यों को कुल ₹37.7 ट्रिलियन का राजस्व प्राप्त हुआ और इसमें ₹29.2 ट्रिलियन से अधिक के निपटान के पश्चात राजस्व और जीएसटी के बाद पांच वर्ष की अवधि के दौरान जारी की गई ₹8.5 ट्रिलियन की क्षतिपूर्ति शामिल है। क्षतिपूर्ति के बिना भी, राज्य जीएसटी राजस्व में 1.15 का उछाल देखा गया है। इसकी तुलना में, जीएसटी में सम्मिलित करों से राज्यों के राजस्व में जीएसटी से पहले चार वर्ष 2012-16 की अवधि में मात्र 8.3 प्रतिशत की वृद्धि दर देखी गई। उक्त अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 11.5 प्रतिशत थी, जो 0.72 के उछाल को दर्शाती है, जो कि 1 से काफी कम है।

*****